न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना के समक्ष

विभु दयाल शर्मा- *याचिकाकर्ता*

बनाम

निदेशक, केंद्रीय परामर्श बोर्ड और *अन्य-प्रतिवादी*

2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 16108

जुलाई 02, 2013

भारत का संविधान, 1950 - कला, 226 - रिट क्षेत्राधिकार - B.Tech इंजीनियरिंग में प्रवेश - आरक्षण - विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और यूरोपीय भागीदारी) अधिनियम 1995 - विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2012 - विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRPD) - यूनाइटेड किंगडम का विकलांगता भेदभाव अधिनियम 1995 - याचिकाकर्ता सामने के घातक ब्रेन ट्यूमर/कैंसर से पीड़ित है और सर्जरी हुई है और उसका इलाज चल रहा है - चाहे "शारीरिक रूप से विकलांग" श्रेणी में विचार किए जाने के लिए अर्हता प्राप्त करता है - विकलांगता शारीरिक विकलांगता को दर्शाती है जिसमें केवल गतिशीलता, हानि, दृश्य हानि और श्रवण हानि शामिल है - चाहे कैंसर, बीमारी या विकलांगता - रोग अस्थायी हो सकता है लेकिन विकलांगता स्थिर और स्थायी प्रकृति की है - प्रवेश पर सूचना विवरणिका के खंड 7.3 का प्रतिबंधित क्षेत्र - यूनाइटेड किंगडम का विकलांगता भेदभाव अधिनियम 1995 "विकलांगता" को शारीरिक या मानसिक हानि के रूप में परिभाषित करता है किसी व्यक्ति की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को करने की क्षमता पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसमें कैंसर, एचआईवी और मल्टीपल स्केलेरोसिस (एमएस) से पीड़ित लोग शामिल हैं - विकलांगता के मुद्दे पर अन्य देशों में की गई प्रगति से पीछे भारतीय कानून - विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2012 - मामलों का निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा मसौदा कानून लागू नहीं किया जा सकता है - रिट याचिका में उठाए गए मुद्दों की जांच करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि, हालांकि पुराने 1995 अधिनियम को बदलने के लिए एक महान नेतृत्व आगे बढ़ता है, यह अभी भी यूनाइटेड किंगडम में की गई प्रगति से कम प्रतीत होता है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ने विकलांगता के सामाजिक मॉडल को अपनाया था और कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ताओं को विकलांगता को परिभाषित करने के लिए सिफारिश की गई है, जिसमें दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाले लोग शामिल हैं, जो विभिन्न बाधाओं के साथ बातचीत में दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डाल सकते हैं।

(पैरा 11)

अभिनिर्धारित किया गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान में, विकलांग व्यक्तियों की परिभाषा पर गंभीर सीमाएं हैं और जब तक कानून में संशोधन नहीं किया जाता है तब तक बहुत कम किया जा सकता है और एकमात्र सीमित निर्देश जो यह न्यायालय इस स्तर पर दे सकता है यदि यह पर्याप्त रूप से पेश किया जाता है, तो केंद्र

सरकार को उपरोक्त प्रस्तुतियों के आलोक में और संदर्भ में इस याचिका में उठाए गए मुद्दों की जांच करने के लिए कहना है (ग) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और यूके के कानून और विदेशी न्यायालयों में इस तरह के अन्य कानूनों के संबंध में कोई निर्णय लिया है और शैक्षिक स्कैट्स में आरक्षण के लिए विकलांगता के रूप में कैंसर आदि को शामिल करने या न करने का अंतिम निर्णय लिया है, जिस पर यह प्रवेश के अधिकार का प्रयोग करता है। व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्सिनोमा/कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं और ब्रेन ट्यूमर सहित विभिन्न डिग्री और विस्तार से पीड़ित हो सकते हैं जैसा कि इस मामले में है। यूके, हालांकि बीमारी के भीतर कोई अंतर नहीं करता है, विकलांगता के रूप में वर्गीकृत करता है, बशर्ते इसका दिन-प्रतिदिन के आधार पर दीर्घकालिक पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव हो।

(पैरा 16)

अभिनिर्धारित किया गया कि यह कहा जाता है कि कानून हमेशा पिछड़ गया है और समय की तत्काल महसूस की गई आवश्यकताओं के बराबर नहीं रह सकता है। एक बार कानून बन जाने के बाद संशोधनों में वर्षों लग सकते हैं। कार्यपालिका और विधायिका के दरवाजे खटखटाने का सबसे उपयुक्त समय अब है। इसलिए। श्री बैंस ने आग्रह किया कि इस न्यायालय को भारत संघ को अपने विवेक से विचार करने के लिए एक निर्देश जारी करना चाहिए और हितधारकों के बीच पूर्ण बहस के बाद तत्काल याचिका में तथ्यों पर प्रस्तुत मामले को शामिल करने के लिए मसौदा विधेयक के पैमाने का विस्तार करने पर विचार करना चाहिए। यद्यपि याचिकाकर्ता को कोई तत्काल राहत नहीं दी जा सकती है, यह सुझाव दिया जाता है कि इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाना केवल अकादमिक अभ्यास नहीं होगा क्योंकि भविष्य में याचिकाकर्ता और उसके जैसे अन्य लोगों की सहायता में फल अभी भी दिखाई दे सकते हैं। उपरोक्त सभी कई कारणों से, रिट याचिका जो विकलांग व्यक्तियों के बारे में कई सवाल उठाती है। मैं इसे हितधारकों के भविष्य के हित में उचित समझता हूं कि उत्तरदाताओं और विशेष रूप से भारत संघ इस बात पर विचार करें कि क्या कैंसर, बीमारियां और बीमारियां जो चिकित्सकीय रूप से हो सकती है अपने सामान्य अर्थों में विकलांगता के रूप में अर्हता प्राप्त करना, जो दिन-प्रतिदिन के आधार पर ऐसे व्यक्तियों की प्रतिकूल मृत्यु हो जाती है, शैक्षिक स्कैट्स आदि में आरक्षण के योग्य होने के लिए पर्याप्त विकलांगता के रूप में गिर सकती है। इसमें शामिल जटिलताओं को देखते हुए, इस न्यायालय के लिए कोई समयरेखा तय करना उचित नहीं होगा और केवल यह आशा की जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ तालमेल रखने के लिए 1995 के अधिनियम की जगह नए कानून को लागू करने से पहले इस मामले की समग्र रूप से जांच की जाए। इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणाएं और चार्टर इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या घरेलू कानून में लाया जा सकता है और इसे गतिशील और समय से पहले बनाया जा सकता है।

(पैरा 17)

रजनी कांत उपाध्याय, अधिवक्ता, श्री राकेश कुमार शर्मा के लिए अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता के लिए*

आरएस बैंस, एडवोकेट (एमिकस क्यूरी)

पुनीत शन्ना, एडवोकेट अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या के लिए। मैं और 2.

ए.एस. विर्क, अधिवक्ता, प्रतिवादी नंबर 3 के लिए

राकेश कुमार नागपाल, अधिवक्ता, यूओआई के लिए

राजीव नारायण रैना, न्यायमूर्ति

(1) याचिकाकर्ता हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। वह कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज्ड इंजीनियर बनना चाहता है। B.Tech आर्क के लिए शैक्षिक सुविधाएं उनके गृह नगर में उपलब्ध नहीं हैं। कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग की एक शाखा है जो कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र में अन्य विषयों में वर्तमान सत्र के लिए स्कैट्स भरे हुए हैं। निकटतम स्थान जहां वह कंप्यूटर विज्ञान की शाखा में इस तरह की शिक्षा प्राप्त कर सकता था, एनआईटी-जालंधर में है, जहां एक खाली स्कैट खाली है। याचिकाकर्ता मेडुलोब्लास्टोमा नामक एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है और उसका एक घातक ब्रेन ट्यूमर का इलाज चल रहा है। उन्होंने दलील दी कि उन्होंने 1999 में पीजीआई, चंडीगढ़ में प्रमुख न्यूरोसर्जरी कराई और वर्तमान में उनका इलाज न्यूरोसर्जरी विभाग और रेडियोथेरेपी विभाग, पीजीआई, चंडीगढ़ में किया जा रहा है। इस स्थिति के कारण, वह आगे की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बिना मदद के दूर की यात्रा करने में असमर्थ है और अपने निरंतर उपचार के लिए चंडीगढ़ में लंगर डाले हुए है।

(2) वह निवेदन करता है कि वह अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा एआईईई-2011 के लिए उपस्थित हुआ। उसका परिणाम घोषित कर दिया गया। उन्होंने परीक्षा में 35 अंक प्राप्त किए। उनका दावा है कि "शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी" में एआईईईई परामर्श में भाग लेने के लिए 18 अंक पर्याप्त हैं। 'हाय सेंट्रल काउंसलिंग बोर्ड-2011 ने B.Tech डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए अल सूरतकल (मैंगलोर), कर्नाटक से मुलाकात की। उन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के तहत आवेदन किया था। उनका दावा है कि हालांकि सीसीबी-2011 द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए आरक्षण है, लेकिन कैंसर से पीड़ित छात्र के लिए कोई स्कैट आरक्षित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने एक अभ्यावेदन दिया। (घ) सरकार ने दिनांक 10-08-2011 से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर (पी-6) में कम्प्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में एक सीट के आरक्षण के लिए प्रतिवादियों को एक मामला दर्ज किया है और दाखिले के लिए उसके मामले पर विचार करने के लिए कहा है। यहीं पर मामला ठप हो गया है। चूंकि उनके अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने 29.08.2011 को दायर इस रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(3) इस न्यायालय ने 30.08.2011 को याचिका पर प्रस्ताव की सूचना जारी की। सम्मन की तामील पूरी होने पर, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 उपस्थित हुए और अपना लिखित बयान दर्ज किया। प्रतिवादी नंबर 3 - एनआईटी, कुरुक्षेत्र ने भी एक जवाब दायर किया है जिसमें कहा गया है कि इसे अनावश्यक रूप से एक पक्ष के रूप में पेश किया गया है जब इसके खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी गई है। शैक्षिक सत्र 2011-12 के लिए प्रवेश करने का प्राधिकार प्रथम प्रतिवादी, 11 आरडी मंत्रालय, नई दिल्ली को सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश-2011 के परिणाम के आधार पर अन्य केन्द्रीय संस्थानों में B.Tech/ बीई/बीआर्क में प्रवेश देना है। एनआईटी-कुरुक्षेत्र को प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की रिपोर्टिंग के लिए नोडल केंद्र बनाया गया था. यह कहा गया है कि शेष रिक्त सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग के 7 वें दौर के बाद प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। यह 11-08-2011 से 13-08-2011 तक आयोजित किया गया था। फिर दाखिल छात्रों को 20.08.2011 तक संबंधित संस्थान को रिपोर्ट करना आवश्यक था। याचिकाकर्ता का अखिल भारतीय रैंक एआई ईईई-2011 में 482147 है। आगे यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता की रैंकिंग काउंसलिंग के पहले छह राउंड के लिए शारीरिक रूप

से विकलांग श्रेणी (सामान्य) में भी अंतिम भर्ती उम्मीदवार की रैंकिंग से कम थी। जब 7 वीं काउंसलिंग हुई तो शारीरिक रूप से विकलांग सामान्य श्रेणी के लिए सभी सीटों को जोत दिया गया था और कोई खाली सीट नहीं बची थी, इसलिए, याचिकाकर्ता एनआईटी कुरुक्षेत्र को बहुत कम नहीं भर सकता था। यह तीसरे प्रतिवादी के लिखित बयान में स्वीकार किया गया है याचिकाकर्ता देश भर में स्थापित किसी भी अन्य एनआईटी में सभी खाली सीटों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पीएचजी) श्रेणी के तहत प्रवेश पाने के लिए एनआईटी, कुरुक्षेत्र को रिपोर्ट कर सकता था। हालांकि, याचिकाकर्ता स्पॉट काउंसलिंग (7 वें राउंड) में भी असफल रहा। पहले सेमेस्टर की परीक्षा नवंबर 2011 में खत्म हुई थी।

(4) प्रतिवादी संख्या 1 और 2 यानी एनआईटी, जालंधर ने अपने जवाब में कहा है कि याचिकाकर्ता अपनी कम रैंक के कारण 24 एनआईटी में से किसी को भी काउंसलिंग के लाइव राउंड के माध्यम से नहीं बना सका और याचिकाकर्ता पीएच श्रेणी के तहत भी कोई स्कैट हासिल नहीं कर सका। यह उनकी आसानी है कि सीसीबी-2011 की सूचना विवरणिका का खंड 7 सीटों के आरक्षण से संबंधित है। यह दलील दी जाती है कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति विकलांगता की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। विकलांगता की परिभाषा शारीरिक विकलांगता को दर्शाती है जो तीन प्रकार की हानि अर्थात् गतिशीलता हानि, दृश्य हानि और श्रवण हानि में से किसी एक को कवर करती है। इस संबंध में खंड 73 का हवाला देते हुए कहा गया है कि हालांकि कैंसर एक बीमारी है, लेकिन यह विकलांगता नहीं है। यह कहा गया है कि याचिका गलत है और राज्य द्वारा दिए गए अनुमेय आरक्षण से संबंधित प्रावधानों की गलतफहमी का परिणाम है। हालांकि याचिकाकर्ता के साथ सहानुभूति व्यक्त की गई है, लेकिन बेबसी की दलील दी जाती है। उन्होंने यह भी संदेह व्यक्त किया है कि चिकित्सा स्थिति में, याचिकाकर्ता के लिए कठोर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की कठोरता का सामना करना बेहद मुश्किल हो सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि एक बीमारी एक अस्थायी विशेषता हो सकती है लेकिन विकलांगता स्थिर और स्थायी प्रकृति की है। चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं ने 30 एनआईटी में प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद विकलांग व्यक्तियों (पीएच) की खाली सीट की स्थिति को रिकॉर्ड में रखा है। 30 एनआईटी में पीएच कोटा के लिए कुल 303 स्कैट्स हैं जिनमें से 72 स्कैट्स खाली हैं। यह अनुबंध R/2/1 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अनुलग्नक R/2/2 30 एनआईटी के बीच शाखावार रिक्त स्कैट स्थिति को दर्शाता है। प्रतिवादी संस्थान में, शाखा कोड CSE, ICE, BOT, CHE और CIV में एक-एक सीट खाली रहती है। अनुबंध आर-2/2 के अंत में यह नोट संलग्न है कि ये स्कैट्स या तो आबंटित छात्रों के कार्यभार ग्रहण न करने अथवा एआईईईई, 2011 में पात्र छात्रों की उपलब्धता न होने के कारण रिक्त रहे हैं। सीसीबी प्रवेश प्रक्रिया मूल रूप से घोषित कार्यक्रम के अनुसार 20.08.2011 को पूरी कर ली गई थी। सभी एनआईटी में कक्षाए सीसीबी ने 21 जुलाई, 2011 को इसकी शुरुआत की थी और सीसीबी के निर्णय के अनुसार, रिक्त सीटों को बाद में नहीं भरा गया था क्योंकि शैक्षणिक सत्र में एक महीने से अधिक की प्रगति हुई थी। 13.12.2011 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

> ''पहले प्रतिवादी के वकील को निर्देश दें कि क्या शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित श्रेणी में कोई भी एससीएटी किसी एनआईटी में खाली पड़ा है।''

(5) दिनांक 13.12.2011 के अंतरिम आदेश के जवाब में, श्री पुनीत शर्मा, चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादियों के लिए उपस्थित वकील ने निर्देशों पर कहा है कि अब एआईई-2011 का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों

में से एक खाली सीट नहीं भरी जा सकती है। किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता सूचना विवरणिका के खंड 7.3 के गणना और प्रतिबंधित क्षेत्र के संदर्भ में 'शारीरिक रूप से विकलांग' की श्रेणी में नहीं आता है और उत्तरदाताओं के पास सीटों के आरक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली विकलांगता के रूप में कैंसर/ब्रेन ट्यूमर या किसी अन्य बीमारी या बीमारी को शामिल करने के लिए उपरोक्त खंड की सीमाओं का विस्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, इस मामले में इस न्यायालय का हस्तक्षेप तब तक उचित नहीं होगा जब तक कि नीति निर्माताओं द्वारा विकलांगता का दायरा नहीं बढ़ाया जाता है।

(6) एमिकस क्यूरी के रूप में उपस्थित विद्वान वकील श्री आरएस बैंस ने प्रस्तुत किया कि पुरानी दुर्बलता से पीड़ित व्यक्तियों की आसानी से निपटने का समय आ गया है, बीमारियों को भी विकलांगता के रूप में माना जाना चाहिए और शारीरिक विकलांगता के रूढ़िवादी दृष्टिकोण को गतिशीलता हानि, दृश्य हानि और श्रवण हानि के तीन प्रोटोटाइप तक सीमित करने के लिए इसे व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि इसे विदेशों में न्यायालयों में देखी गई आधुनिक प्रवृत्तियों के अनुरूप लाया जा सके।

(7) अपने तर्क को आगे बढ़ाने के लिए, वह यूनाइटेड किंगडम में विकलांगता भेदभाव अधिनियम, 1995 नामक एक विधायी अधिनियमन पर भरोसा करते हैं ताकि यह तर्क दिया जा सके कि "विकलांगता" और "विकलांग व्यक्तियों" के अर्थ में शारीरिक या मानसिक हानि को शामिल करने के लिए एक बड़ा परिवर्तन आया है जिसका एक व्यक्ति पर दिन-प्रतिदिन की सामान्य गतिविधियों को करने की क्षमता पर पर्याप्त दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह अधिनियम रोजगार और व्यवसाय, शिक्षा, परिवहन और वस्तुओं, सुविधाओं, सेवाओं, परिसर और सार्वजनिक कार्यों के अभ्यास के प्रावधानों को कवर करने वाली कई परिस्थितियों में विकलांग लोगों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और अधिनियम के संरक्षण के हकदार हैं। अधिनियम में प्रावधान है कि लोगों को विकलांगता यह दिखाने के बिना कि उनके पास एक हानि है (या होने की संभावना है) सामान्य दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को करने की क्षमता पर एक पर्याप्त, प्रतिकूल, दीर्घकालिक प्रभाव है और इसमें कैंसर, एचआईवी संक्रमण या मल्टीपल स्केलेरोसिस (एमएस) वाला व्यक्ति शामिल है। विधायकों द्वारा ध्यान में रखे गए कारकों में से एक यह है कि उस हानि के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक गतिविधि को पूरा करने में लगने वाला समय पर्याप्त है क्योंकि यह माना जाता है कि अधिनियम में परिभाषा के तहत आने के लिए पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव आवश्यक है। एक उदाहरण दिया गया है जो इस प्रकार है; एक दस साल के बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है। प्रभावों में मांसपेशियों की कठोरता, खराब संतुलन और असंगठित आंदोलन शामिल हैं। बच्चा अभी भी ज्यादातर चीजें खुद के लिए करने में सक्षम है, लेकिन वह बहुत आसानी से थक जाता है और उसके लिए खाने-पीने, धोने और कपड़े पहनने जैसे कार्यों को पूरा करना कठिन होता है। यद्यपि वह इस तरह की रोजमर्रा की गतिविधियों को अंजाम दे सकता है, लेकिन एक समान उम्र के बच्चे की तुलना में सब कुछ अधिक समय लेता है, जिसे मस्तिष्क पक्षाघात नहीं है। यह एक पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव के बराबर है।

(8) श्री बैंस यूनाइटेड किंगडम कानून की अनुसूची I भाग 1 का उल्लेख करेंगे जो विकलांगता और विकलांगता के निर्धारण से संबंधित है। अनुसूची की मद 6(1) में कैंसर को विकलांगता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, यद्यपि यह एक चिकित्सीय स्थिति है। इसलिए, बीमारी, बीमारी आदि विकलांगता का गठन करेंगे बशर्ते कि उनका सामान्य दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उनका कहना है कि भारत में कानून की स्थिति अत्यधिक रूढ़िवादी है और इसने अन्य न्यायालयों की तरह

विकलांगता के अर्थ का विस्तार करने में उन्नत प्रगति नहीं की है। श्री बैंस तब प्रस्तुत करते हैं कि भारत सरकार कानून को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया में है। निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीआरपीडी) के अनुरूप एक नया कानून अधिनियमित करने के अपने प्रयास में निशक्तता अध्ययन केन्द्र, नालसार विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद, भारत द्वारा तैयार किए गए अनुसंधान पर दिनांक 30-06-2011 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा विधेयक के प्रस्तुतीकरण के आलोक में। UNCRPD कन्वेंशन विकलांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की पूर्ण प्राप्ति के लिए है। भारत एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अधीन है और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में मान्यता प्राप्त अधिकारों से संबंधित उपयुक्त कानून अधिनियमित करने के लिए बाध्य है। 'निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और भागीदारी तक) अधिनियम, 1995 भारत में 18 वर्षों से संविधि पुस्तिका में है, लेकिन अधिनियम में मान्यता प्राप्त अधिकारों की संख्या शामिल नहीं है। यूएनसीआरपीडी अथवा मान्यता प्राप्त अधिकार कन्वेंशन के सिद्धांतों के पूर्ण अनुरूप नहीं हैं। यह सुझाव दिया गया है कि विकलांगता के आधार पर भेदभाव को दूर करने के लिये भारत के संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में विकलांगता शब्द को निषिद्ध आधारों में से एक के रूप में शामिल किया जा सके। उदाहरण के लिए, सूची II में "विकलांग" और ‘‘बेरोजगार’’ और अनुसूची XI और XII में ‘‘विकलांग’’ और ‘‘मानसिक रूप से मंद’’ जो धुन से बाहर और कालानुक्रमिक हैं, संविधान से हटा दिए जाने चाहिए।

(9) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विकलांगता पर विश्व रिपोर्ट में प्रसिद्ध ब्रिटिश सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग, जिन्हें एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, ने अपनी प्रस्तावना में इस प्रकार कहा है: -

> *‘‘विकलांग लोगों के लिए भागीदारी के लिए हैरियर को हटाना, और उनकी विशाल क्षमता को अनलॉक करने के लिए पर्याप्त धन और विशेषज्ञता का निवेश करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। यह मेरी आशा है कि यह सदी विकलांग लोगों को उनके समाजों के जीवन में शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगी।’’*

(10) उपर्युक्त प्रस्तावित विधेयक अब सितम्बर, 2012 में जारी निशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2012 के मसौदे के रूप में है। इस नए विधेयक में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित विनिदष्ट विकलांगता के 40% से कम नहीं माना जाएगा। 'विकलांग व्यक्ति' एक ऐसे व्यक्ति पर विचार करता है जो लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि से ग्रस्त है, जो विभिन्न बाधाओं के साथ बातचीत में, दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उसकी शांति और प्रभावी भागीदारी में बाधा डाल सकता है। 'बार्नर1 यदि अधिनियमित किया जाता है तो इसका अर्थ व्यवहारिक, संचार, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, संस्थागत, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या संरचनात्मक कारकों सहित कोई भी कारक होगा जो समाज में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को बाधित करता है। विधेयक के प्रारूप में विनिर्दिष्ट निशक्तता का अर्थ है :-

i. *ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर:*

ii. *अंधापन;*

iii. *सेरेब्रल पाल्सी:*

iv. *पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां:*

v. *बहरापन:*

vi. *हीमोफ़िलिआ;*

vii. *श्रवण हानि;*

viii. *बौद्धिक विकलांगता;*

ix. *कुष्ठ रोग ठीक हो गया;*

x. *लोकोमोटर विकलांगता;*

xi. *कम दृष्टि;*

xii. *मानसिक रोग;*

xiii. *पेशीय दुर्विकास;*

xiv. *मल्टिपल स्क्लेरोसिस;*

xv. *विशिष्ट सीखने की विकलांगता;*

xvi. *भाषण और भाषा विकलांगता, और*

xvii. *थैलेसीमिया;*

xviii. *एकाधिक विकलांगता; जैसा कि अनुसूची में परिभाषित किया गया है। "*

कैंसर को मसौदा विधेयक में विनिदष्ट नहीं किया गया है।

(11) हालांकि पुराने 1995 अधिनियम को बदलने के लिए एक महान नेतृत्व आगे बढ़ता है, फिर भी यह यूनाइटेड किंगडम में की गई प्रगति से कम प्रतीत होता है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ने विकलांगता के सामाजिक मॉडल को अपनाया था और कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ताओं को विकलांगता को परिभाषित करने की सिफारिश की थी, जिसमें दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाले लोग शामिल हैं जो विभिन्न बैनरों के साथ बातचीत में दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डाल सकते हैं।

(12) एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड बनाम सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के *मामले में* , जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के अधीन एक मामला है, उच्चतम न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं का उल्लेख करते हुए टिप्पणी की थी -

> *उन्होंने कहा, भारत ने अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन कानून को इसके संदर्भ में संशोधित किया जाना चाहिए था। केवल इसलिए कि कानूनों में संशोधन नहीं किया गया है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को पराजित करने की अनुमति दी जाएगी। अगर जमीनी हकीकत बदलती है तो व्याख्या में भी बदलाव होना चाहिए। जमीनी हकीकत न केवल नई स्थितियों और सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव के साथ-साथ बड़ी जनता द्वारा बड़े पैमाने पर ध्वनि*

रिकॉर्डिंग के उपयोग पर निर्भर करेगी, बल्कि इसलिए भी कि सरकार अपनी खुली आंखों के साथ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता बन गई है।

(13) विशाखा *और अन्य बनाम* राजस्थान राज्य और अन्य [1]*मामले* में उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से निपटते हुए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों पर विचार किया और कहा कि अब यह न्यायिक निर्माण का स्वीकृत नियम है कि घरेलू कानून के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और मानदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जब उनके बीच कोई असंगति न हो और घरेलू कानून में शून्य हो।

(14) *प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य में*, उच्चतम न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम, जो विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून को संदर्भित करता है, से निपटते हुए निम्नानुसार बात की थी

"नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, प्रसंविदाएँ और अभिसमय यद्यपि हमारे नगरपालिका कानून का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, लेकिन न्यायालयों द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत उक्त संधियों का एक पक्षकार है, इसका उल्लेख किया जा सकता है और न्यायालयों द्वारा इसका पालन किया जा सकता है। त्वरित सुनवाई का अधिकार कोई नया अधिकार नहीं है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के संदर्भ में सन्निहित है। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ इसे स्वीकार करती हैं। अब यह ट्राइट है कि मानवाधिकारों के किसी भी उल्लंघन को हेय दृष्टि से देखा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय कानून के कुछ प्रावधान हालांकि हमारे नगरपालिका कानून का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, अदालतें संविधान के संदर्भ में नए अधिकारों को खोजने के लिए इसका उल्लेख करने में संकोच नहीं करती हैं। भारत के संविधान और अन्य चल रहे कानूनों को अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुरूप पढ़ा गया है। संविधान विधायी शक्ति का स्रोत है न कि प्रयोग का। अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत, जब भी लागू होते हैं, एक वैधानिक निहितार्थ के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन वर्तमान मामले में विधायिका ने खुद को बाध्य रखा और इस प्रकार, संवैधानिक प्रावधानों या अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के संदर्भ में भी कानून नहीं बनाया। इसलिए, कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा समझा जाना चाहिए। हमारे संविधान का भाग III मौलिक और प्रक्रियात्मक अधिकारों की रक्षा करता है। इससे उत्पन्न होने वाले निहितार्थों को न्यायपालिका द्वारा प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में कार्यरत संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में क़ानून का एक प्रासंगिक अर्थ सौंपा जाना आवश्यक है। (देखें लिवरपूल और लंदन एसआर एंड आई एसोसिएशन लिमिटेड बनाम एमवी सी सक्सेस आई एंड अदर (2004) 9 एससीसी 512)।"

(15) भारत संघ की ओर से पेश नागपाल ने कहा कि प्रस्तावित या मसौदा कानून अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों पर आधारित है, लेकिन इस मामले में लागू नहीं किया जा सकता है।

(16) मुझे उनके बयान की शुद्धता पर संदेह नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ की स्थापना पर क्लर्कों की रिक्तियों को भरने के लिए अपने रोजगार नोटिस में इस न्यायालय ने भी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण को कम दृष्टि, श्रवण हानि और आर्थोपेडिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों तक सीमित कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान में, विकलांग व्यक्तियों की परिभाषा पर गंभीर सीमाएं हैं और जब तक कानून में संशोधन नहीं किया जाता है तब तक बहुत कम किया जा सकता है और

[1] एआईआर 1997 एससी 3011

इस स्तर पर यह न्यायालय जो एकमात्र सीमित निर्देश दे सकता है, यदि यह पर्याप्त रूप से पेश किया जाता है, तो केंद्र सरकार को उपरोक्त प्रस्तुतियों के आलोक में और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के संदर्भ में इस याचिका में उठाए गए मुद्दों की जांच करने के लिए कहना है और यूके कानून और विदेशी न्यायालयों में इस तरह के अन्य कानून और अंतिम निर्णय लें कि कैंसर आदि को शैक्षिक स्कैट्स में आरक्षण के प्रयोजनों के लिए विकलांगता के रूप में शामिल किया जाए या नहीं, जिस पर यह प्रवेश के अधिकार का प्रयोग करता है। व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्सिनोमा/कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं और ब्रेन ट्यूमर सहित विभिन्न डिग्री और हद तक पीड़ित हो सकते हैं जैसा कि इस मामले में है। यूके, हालांकि बीमारी के भीतर कोई अंतर नहीं करता है, इसे विकलांगता के रूप में वर्गीकृत करता है, बशर्ते इसका दिन-प्रतिदिन के आधार पर दीर्घकालिक पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव हो।

(17) यह कहा जाता है कि कानून हमेशा पीछे रहा है और समय की तत्काल महसूस की गई आवश्यकताओं के बराबर नहीं रह सकता है। एक बार कानून बन जाने के बाद संशोधनों में वर्षों लग सकते हैं। कार्यपालिका और विधायिका के दरवाजे पर दस्तक देने का सबसे उपयुक्त समय अब है, इसलिए, श्री बैंस आग्रह करते हैं कि इस न्यायालय को भारत संघ को अपने विवेक से विचार करने और हितधारकों के बीच पूर्ण बहस के बाद मसौदा विधेयक के पैमाने का विस्तार करने पर विचार करने के लिए निर्देश जारी करना चाहिए। तत्काल याचिका में तथ्यों पर प्रस्तुत किए गए मामले को शामिल करना। यद्यपि याचिकाकर्ता को कोई तत्काल राहत नहीं दी जा सकती है, लेकिन यह सुझाव दिया जाता है कि इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाना केवल अकादमिक अभ्यास नहीं होगा क्योंकि भविष्य में याचिकाकर्ता और उसके जैसे अन्य लोगों की सहायता में फल अभी भी दिखाई दे सकते हैं।

उपरोक्त सभी कई कारणों से, रिट याचिका जो विकलांग व्यक्तियों के संबंध में कई प्रश्न उठाती है, मैं इसे हितधारकों के भविष्य के हित में मानता हूं कि उत्तरदाताओं और विशेष रूप से भारत संघ को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कैंसर, बीमारियां और बीमारियां जो चिकित्सकीय रूप से अपने सामान्य अर्थों में विकलांगता के रूप में योग्य हो सकती हैं जो ऐसे व्यक्तियों पर दिन-प्रतिदिन प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, शैक्षिक स्कैट्स आदि में आरक्षण के योग्य होने के लिए पर्याप्त विकलांगता के रूप में गिर सकता है। इसमें शामिल जटिलताओं को देखते हुए, इस न्यायालय के लिए कोई समय सीमा तय करना उचित नहीं होगा और केवल यह आशा करेगा कि इस मामले की समग्र रूप से जांच की जाए ताकि 1995 के अधिनियम की जगह नए कानून को लागू करने से पहले इस पर ध्यान दिया जा सके ताकि इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संयुक्त राष्ट्र की घोषणाओं और चार्टर्स के साथ तालमेल रखा जा सके कि क्या इसे घरेलू कानून में लाया जा सकता है और इसे गतिशील और समय से पहले बनाया जा सकता है।

(18) उपरोक्त टिप्पणियों, आशा और समय पर हस्तक्षेप के लिए अनुरोधों, सूचित सोच और विकलांग व्यक्तियों के अर्थ के विस्तार पर तर्कसंगत बहस के साथ याचिका का निपटारा किया जाता है।

एस. गुप्ता

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रवि अमितोज़
प्रशिक्षु न्यायिक
अधिकारी